न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 181–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–1–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 279/निगरानी/06–07.

.....

छठिलाल साहू तनय रघुनाथ साहू
निवासी ग्राम हरदी तहसील हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

ऋतुराज सिंह तनय जगदीश सिंह
निवासी ग्राम हरदी तहसील हनुमना जिला रीवा म0 प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री एस0एन0 शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेश तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8.10.2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा भूमि खसरा कमांक 528 के जुज रकवा 0.10 डिसमल में आबादी एवं भूमि खसरा कमांक 526 के जुज रकबा 0.05 डिसमल में निस्तार के रूप में भौतिक रूप से पुस्तैनी से लगायत आज तक काबिज दाखिल किये जाने का आवेदन तहसीलदार, तहसील हनुमना के समक्ष दिनांक 8–10–2002 को प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 8–8–2003 को प्रकरण प्रचलन योग्य मानते हुए आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया । तहसीलदार के उक्त आदेश से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा अपने आदेश दिनांक

30–12–2006 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि उनके द्वारा अधीनस्थ तहसील न्यायालय में राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात प्रकरण को प्रचलनशील पाया गया एवं आवेदक की साक्ष्य हेतु नियत किया गया है जो विधि अनुकूल है तथा जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–1–2012 प्रकरण को प्रचलनशील माना गया है, परन्तु उपरोक्त आवेदन पत्र एवं आपत्ति तथा राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट की विवेचना नहीं की गई, अतः अपर कलेक्टर एव नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया एवं प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ प्रकरण में विद्वान अभिभाषकों के तर्क सुने गये । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में लिखे गये बिन्दुओं को दोहराया गया तथा यह कहा गया कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का कब्जा है । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट अंतिम है, जिसके आधार पर तहसीलदार को आगे कार्यवाही करते हुये आदेश पारित करना चाहिये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में यह बताया गया कि सीमाकंन के दौरान प्रश्नगत सर्वे नंबर पर आवेदक निगरानीकर्ता छठिलाल का कब्जा पाया गया था, जिसके उपरान्त उसके विरूद्ध धारा 250 के अंतर्गत बेदखली एवं जेल की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी, जिसमें आवेदक द्वारा यह बताया गया था कि उसका खसरा नंबर 526 तथा 528 पर कब्जा नहीं है । ऐसा उत्तर देने के बाद आवेदक निगरानीकर्ता छठिलाल द्वारा खसरा नंबर 526 एवं 528 में उसका कब्जा दर्ज कराये जाने हेतु आवेदन लगाया जाना अनुचित है तथा उसके धारा 250 की कार्यवाही के दौरान दिये गये उत्तर में विरोधाभास था, जिसकी वजह से अनावेदक द्वारा यह आपत्ति ली गई कि आवेदक का नये सिरे से कब्जा लिखना उचित नहीं होगा । इस प्रकार तहसीलदार, अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त न्यायालय की कार्यवाही को सही बताते हुये अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया प्रश्नगत भूमियों से निगरानीकर्ता छठिलाल की बेदखली कार्यवाही को निरंतर रखा जाये तथा राजस्व अभिलेख में उसके पक्ष में प्रश्नगत भूमियों की प्रविष्टियां करने की अनुमति नहीं दी जाये ।

5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने प्रतिउत्तर में आगे तर्क किया । उन्होंने कहा कि अपर कलेक्टर का आदेश स्पष्ट है तथा कब्जे के आधार पर आवेदक के पक्ष में पहले किये गये निवेदन को उनके द्वारा दोहराया गया । यह तर्क भी किया गया कि सर्वे नंबर 526 एव9 528

की नौइयत आबादी है तथा आबादी का सीमांकन कभी होता ही नहीं है । इन भूमियों पर अनावेदक के पुर्खो ने मजदूरों को बसाया था जिसमें आवेदक छठिलाल के पूर्वज भी थे । अतः अब अनावेदक द्वारा प्रश्नगत सर्वे नंबर पर से आवेदक को हटाये जाने की मांग करना अनुचित है।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सन्दर्भ में मेरे द्वारा प्रकरण के अभिलेख का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तथा निगरानी मेमों, तर्क इत्यादि के समस्त बिन्दुओं पर विचार किया गया । प्रकरण में निगरानीकर्ता छठिलाल द्वारा प्रश्नगत सर्वे नंबर 526 एवं 528 के अंश भाग पर अपना पुश्तैनी कब्जा मकान कुंआ होना इत्यादि बताया गया है । राजस्व निरीक्षक के प्रथम प्रतिवेदन दिनांक 8–4–2003 में आवेदक के इस प्रकार लंबे कब्जे का उल्लेख है । तदोपरान्त राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 12–12–2003 में यह लिखा है कि राजस्व निरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 8–4–2003 सही नहीं था, क्योंकि उसमें नक्शा साथ नहीं था एवं वर्षा आ रही थी । प्रतिवेदन दिनांक 12–12–2003 में राजस्व निरीक्षक द्वारा यह लिखा गया है कि आवेदक निगरानीकर्ता छठिलाल का कब्जा सर्वे नंबर 525 पर तथा अनावेदक ऋतुराज का कब्जा सर्वे नंबर 526 एवं 528 पर है । किन्तु आवेदक छठिलाल का अंश रकबा सर्वे नंबर 526 एवं 528 पर पाया गया है । मेरे द्वारा अपर आयुक्त के आदेश का अवलोकन किया गया तथा यह पाया गया कि अपर आयुक्त का यह आदेश स्पष्ट एवं बोलता हुआ नहीं है । उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, समस्त पक्ष (आवेदक, अनावेदक एवं शासन) को पक्ष समर्थन का समुचित अवसर देते हुए आवश्यक एवं समुचित साक्ष्यों और अभिलेखों को संग्रहित करते हुए तथा उनका परीक्षण करते हुये, एवं पूर्ण विवेचना सहित बोलता हुआ संबैधानिक एवं नीतिगत आदेश पारित करें । जिससे आवेदक, अनावेदक एवं शासकीय हितों का तथ्यपरक रूप से एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार संरक्षण सुनिश्चित हो सके ।

7/ प्रकरण के अभिलेख एवं विद्वान अभिभाषकों के तर्क इत्यादि पर विचार किये जाने के उपरान्त इस न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक–09.01.2012 स्थिर रखें जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में विद्यामान समस्त तथ्यों, उनकी स्थिति के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर विवेचना करते हुये स्थिति स्पष्ट करें :–

1 कि विवादित सर्वे नंबर 526 एवं 528 के रकवा 0.05 डिसमल पर :–

(क) क्या आवेदक का कब्जा है ?

(ख) यदि हॉ तो आवेदक का कब से कब्जा है ?।

(ग) क्या यह जमीन आवेदक को पूर्व कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी के रूप में दी जा सकती है ?

2 सर्वे नंबर 526 एवं 528 के शेष रकबे का :–

(क) लंबे समय से क्या उपयोग रहा है ?

(ख) शेष रकबे पर लंबे समय से किसका आधिपत्य रहा है, शासन का या अनावेदक या आवेदक का ?

(ग) अनावेदक का नामांतरण इन सर्वे नंबरों पर कब और कैसे हुआ ?

उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना करते हुए संहिता में निहित प्रावधानों के प्रकाश में नीतिगत एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी निरस्त की जाती है । आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख वापिस किया जावे । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर